



बिहार सरकार

कृषि विभाग, बिहार, सरकार

कृषि भवन, मीठापुर, पटना - 800001



ई-मेल- adldir.agro@gmail.com

वेबसाइट -state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome

दूरभाष/फैक्स- 0612-2215373

पत्रांक- पी०एम०-किसान(फार्मर रजिस्ट्री)-13/2025 - 1021 कृ०, पटना, दिनांक 07/02/2026

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

विषय:-

एग्री स्टैक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में प्रगति लाने हेतु तृतीय चरण के विशेष अभियान तिथि को दिनांक 06.02.2026 से बढ़ाकर दिनांक 11.02.2026 तक करने के संबंध में।

प्रसंग:-


डी०बी०टी० (पी०एम०-किसान)-100/2024-1015 दिनांक 06.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि राज्य में किसानों का फार्मर आई.डी. बनाने हेतु प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण में विशेष कैंप का आयोजित किया गया तथा दिनांक 02.02.2026 से 06.02.2026 तक तृतीय चरण का विशेष अभियान संचालित किया गया। विशेष अभियान से अबतक राज्य द्वारा 43 प्रतिशत किसानों का फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण करा लिया गया है। भारत सरकार से SCA Scheme के द्वितीय किस्त प्राप्त करने हेतु 50 प्रतिशत का लक्ष्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए तृतीय चरण के निर्धारित विशेष अभियान की तिथि को विस्तारित करते हुए दिनांक 11.02.2026 तक किये जाने का निदेश दिया गया है ताकि राज्य के अधिक-से-अधिक किसानों का फार्मर आई.डी. बनाया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि :-

- कैंप की विस्तारित तिथि का सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अवगत कराया जाय।
- कैंप की तिथि एवं स्थान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।
- कैंप में आये हुए किसानों का e-KYC सत्यापन तथा Bucket Claim को पूर्ण कराते हुए फार्मर आई०डी० तैयार कराया जाय।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारी/कर्मचारी को इस आशय से अवगत कराया जाय ताकि फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा सके।



प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।



प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।